तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S. Act Case No. 92/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
24.5.2023	पत्रावली आज पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी रमेश कुमार पुत्र श्री रामरतन सैनी, जाति– माली, मानपुर चौराहा, मानपुर, तहसील– आबूरोड, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म सैनी प्रोविजन स्टोर एण्ड फलोर मिल, मानपुर चौराहा, मानपुर, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 26.3.2022 को फर्म सैनी प्रावेजन स्टोर एण्ड फलोर मिल, मानपुर चौराहा, मानुपर, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी रमेश कुमार पुत्र श्री रामरतन सैनी, जाति– माली, निवासी– मानपुर चौराहा, मानपुर, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (श्री स्वागत ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1771 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./918/Act/2022/905 दिनांक 06.4.2022 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया, जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 23.5.2023 को प्रतिवादी रमेश कुमार ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को सुना गया। जिसने अनुरोध किया कि उसका व्यापार छोटा है, उसने घी (श्री स्वागत ब्राण्ड) को दूसरी फर्म से क्रय किया था जिसका बिल उसके पास नही है। भविष्य में अमानक खाद्य सामग्री नही बेचेगा। अतः कम से कम जुर्माना करावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अ[illegible] श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सु[illegible]ारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा [illegible] (हाल निलम्बित) ने दिनांक 26.3.2022 [illegible] स्टोर एण्ड फलोर मिल, मानपुर चौराहा, मानपुर, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी रमेश कुम[illegible] पुत्र श्री ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:23:42 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.92/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

रामरतन सैनी, जाति– माली, निवासी– मानपुर चौराहा, मानपुर, तहसील– आबूरोड, जिला– सिरोही से दुकान के अन्दर आलमारी की रैक में बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (श्री स्वागत ब्राण्ड) के 18 पैक्ड कंटेनर (प्रत्येक 500 एम.एल.) में से खाद्य पदार्थ घी (श्री स्वागत ब्राण्ड) के 4 पैक्ड कंटेनर (प्रत्येक 500 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ घी (स्वागत ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1771 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./918/Act/2022/905 दिनांक 06.4.2022 के अनुसार अमानक (Sub-standard) पाया गया है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी रमेश कुमार ने खाद्य पदार्थ घी (श्री स्वागत ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी रमेश कुमार ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (कविराज ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (कविराज ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी रमेश कुमार पुत्र श्री रामरतन सैनी, जाति– माली, मानपुर चौराहा, मानपुर, तहसील– आबूरोड, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म सैनी प्रोविजन स्टोर एण्ड फलोर मिल, मानपुर चौराहा, मानपुर, तहसील– आबूरोड, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। प्रतिवादी गोपाल माली को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 7 दिन के भीतर जमा करवाये। [illegible] प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवा[illegible] की जावे। मिसल वास्ते जमा हो[illegible]
दिनांक 26.6.2023 को पेश हो[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:23:42 IST
Reason: SelfAttested

(के.आर. खौड)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.